

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 02(01)न्याय/2026

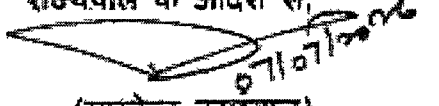
जयपुर, दिनांक 07.07.2026

::अधिसूचना::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 46) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 व अन्य संबंधित विधियों के अन्तर्गत साईबर अपराध के मुकदमों के त्वरित निस्तारण हेतु जयपुर एवं जोधपुर मुख्यालयों पर निम्नलिखित विशेष साईबर न्यायालय, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र. सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	न्यायक्षेत्र	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार राजस्व जिला
1.	विशेष साईबर न्यायालय, जयपुर	जयपुर महानगर प्रथम	जयपुर	जयपुर
2.	विशेष साईबर न्यायालय, जोधपुर	जोधपुर महानगर	जोधपुर	जोधपुर

नोट- उपरोक्त न्यायालयों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 10 (2) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(राघवेंद्र काछवाल)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen/II/07/2025/.1.238

Date: 09/07/2026

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
(Registrar CPC with a request to upload the same on High Court website)
2. The District & Sessions Judge, Jaipur Metro.-I / Jaipur Metro.-II/ Jaipur District / Jodhpur Metro./ Jodhpur District.
3. The Concerned Chief Judicial Magistrate.
4. The Concerned Court.
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ RJS Leave/ SC Estt-I & II/ Statistics / Budget/ Building / Computer Cell, Rajasthan High Court, Jodhpur.


REGISTRAR (RULES)